




# Nivesh Mitra



## Single Window Portal ,Govt. of Uttar Pradesh

### Uttar Pradesh Fire Service

#### प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/73582/BJN/BIJNOR/439/CFO

दिनांक: 10-02-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL CHACHRAULI BANGAR MANDAWAR ROAD BIJNOR TEHSIL AND DISTT BIJNOR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 162 163 164 163K 163KH 167, BIJNOR TO MANDAWAR ROAD, BIJNOR तहसील - BIJNOR, प्लॉट एरिया 21460 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 12405.90 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 3 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	11.00 mt.
BLOCK B	3	0	12 mt.
BLOCK C	3	0	11.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL CHACHRAULI BANGAR MANDAWAR ROAD BIJNOR TEHSIL AND DISTT BIJNOR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 15-02-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री NAVNEET JAIN के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 17-02-2023 से 16-02-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL CHACHRAULI BANGAR MANDAWAR ROAD BIJNOR TEHSIL AND DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL CHACHRAULI BANGAR MANDAWAR ROAD BIJNOR TEHSIL AND DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** उक्त भवन वर्ष 2020 से पूर्व का निर्मित एवं संचालित है तथा उक्त भवन को मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर द्वारा UPFS -2020 -17797 -BJN -BIJNOR -144 -CFO दिनांक 28 -02 - 2020 को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण का नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त भवन के अग्निशमन अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति शासनादेश संख्या-18 /छ:-पू 0 -8 -2022 /905 -34 -201 टी 0 सी 0 दिनांक 07 -01 -2022 में दिए गए शिथिलीकरण के आधार पर की जाती है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर